रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2009/पौष 3, 1931
No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2009/PAUSA 3, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

सं. एल-7/139(159)/2008.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79(1)(ग) तथा 178(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी)" से विनिर्दिष्ट परिचालन में अनुसूचित वाणिज्यिक संव्यवहारों (दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच) के लिए उपलब्ध अंतर-नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली की नेटवर्क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अंतरण क्षमता अभिप्रेत है । गणितीय रूप से एटीसी कुल अंतरण क्षमता ऋण पारेषण विश्वसनीयता मार्जिन है ;

(ख) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "संकुलन" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जहां पारेषण क्षमता के लिए मांग उपलब्ध पारेषण क्षमता से अधिक हो जाती है ;

(घ) "संकुलन प्रभार" से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक या प्रदेश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य तक ऊर्जा के पारेषण के लिए एक या अधिक प्रादेशिक इकाईयों में लगाए गए अनुपूरक प्रभार अभिप्रेत हैं जब अनुसूची में फेरफार कुल अंतरण क्षमता सीमा के बाद अंतर-प्रादेशिक या अंतरा-प्रादेशिक पारेषण लिंकों में ऊर्जा की कुल निकासी की जाती है ;

(ड.) "नियंत्रण क्षेत्र" से अंतर-संयोजनों (टाई लाइन), मीटरिंग तथा दूरमिति द्वारा परिबद्ध ऐसी विद्युत प्रणाली अभिप्रेत है जहां उसका नियंत्रण अन्य नियंत्रण क्षेत्रों के साथ उसकी विनिमय अनुसूची को बनाए रखने के लिए उसके उत्पादन और/या भार पर होता है, जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह समकालिक रूप से प्रचालन प्रणाली की फ्रिक्वेंसी विनियमन में सहायता करता है ;

(च) "विश्वसनीय परिस्थिति" से घटित होने वाली ऐसी आकस्मिकता अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अंतर-नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली की कुल अंतरण क्षमता पर पड़ता है ;

(छ) "प्रादेशिक इकाई" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनकी मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है ;

(ज) "पारेषण विश्वस्तता मार्जिन (टीआरएम)" से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कुल अंतरण क्षमता में रखे गए मार्जिन की रकम अभिप्रेत है जिससे प्रणाली की स्थिति में अनिश्चितता की युक्तियुक्त पहुंच को सुरक्षित रखा जा सके ;

(झ) "कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी)" से ऐसी विद्युत ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है जिसे बहुत खराब विश्वसनीय परिस्थिति होने पर नियत प्रचालन

स्थिति के अंतर्गत अंतर-नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली पर विश्वस्तता को अंतरित किया जा सकता है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

अध्याय - 2 : संकुलन अवमुक्ति के उपाय

3. कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी), उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) तथा पारेषण विश्वस्तता मार्जिन (टीआरएम) की संगणना

(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के परामर्श से अंतर-प्रादेशिक लिंकों/कारीडोरों की कुल अंतरण क्षमता, उपलब्ध अंतरण क्षमता तथा पारेषण विश्वस्तता मार्जिन (टीआरएम) का निर्धारण करेगा तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा अन्य संबंधित विषय) विनियम, 2009 में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) द्वारा घोषित टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम का, यदि आवश्यक हो, पुनरीक्षण करेगा ।

(2) संगणनाओं, जिसमें पूर्वानुमान, यदि कोई हों, भी हैं, के आधार के ब्यौरे के साथ टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम को एनएलडीसी तथा आरएलडीसी की वेबसाइट पर कम से कम तीन मास अग्रिम में डाला जाएगा । अध्ययन द्वारा जानकारी में आए विनिर्दिष्ट अवरोधों को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

(3) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र प्रदेश के भीतर व्यष्टिक नियंत्रण क्षेत्रों की कुल अंतरण क्षमता, उपलब्ध अंतरण क्षमता तथा प्रादेशिक विश्वस्तता मार्जिन का, यदि अपेक्षित हो, निर्धारण करेगा तथा उन्हें अपने-अपने आरएलडीसी की वेबसाइट पर, संगणनाओं के आधार के ब्यौरे के साथ, जिसमें पूर्वानुमान, यदि कोई हों, भी है, तीन मास पहले डालेगा । अध्ययन द्वारा जानकारी में आए विनिर्दिष्ट अवरोधों को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा:

परंतु यह और कि एनएलडीसी, अपनी प्रणाली के टीसीसी का अवधारण करने के लिए, पीक तथा आफ-पीक के लिए गर्मी, बरसात, सर्दी तथा सर्दी से पूर्व/सर्दी के बाद (जब संपूर्ण भारत में मांग कम हो जाती है) के लिए पारेषण प्रणाली विश्वस्तता अध्ययन करेगा । उपस्कर लोडिंग, वोल्टता स्थायित्व तथा अस्थायी अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए बेहद खराब विश्वसनीय परिस्थिति का अध्ययन करेगाः

परंतु यह और कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और/या संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) प्रणाली की स्थिति में परिवर्तन के कारण टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम को पुनरीक्षित कर सकेंगे जिसमें अध्ययन में किसी भी प्रकार के नोड्स पर नेटवर्क टोपोलाजी में परिवर्तन या प्रत्याशित सक्रिय या रिएक्टिव उत्पादन या पारेषण लाइनों में परिवर्तन, भी सम्मिलित है । ऐसे पुनरीक्षण में उसके कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए । टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम को उस समय प्रत्याशित प्रणाली की प्रस्थिति पर निर्भर करते हुए, आगे के दिन के आधार पर पुनः पुनरीक्षित किया जा सकेगाः

परंतु यह भी कि जब वास्तविक-समय क्षेत्र मापमान के लिए एनएलडीसी तथा आरएलडीसी को फेजर मापमान यूनिटों जैसी अग्रिम मापमान तकनीकी उपलब्ध हो जाती है तब इन मापमानों से अनुमिति का उपयुक्त रूप से उपयोग कुल अंतरण क्षमता के निर्धारण के लिए किया जाएगा ।

4. **<u>संकुलन प्रभारों का लागू होना</u>**

(1) वास्तविक समय में संकुलन अवमुक्ति के लिए, संकुलन प्रभार वाणिज्यिक मानदंडों के रूप में लागू होंगे । संकुलन प्रभार अंतर-प्रादेशिक लिंक या अंतरा-प्रादेशिक लिंकों में संकुलन करने वाली प्रादेशिक इकाई या इकाईयों द्वारा संदेय होंगे तथा अवमुक्त संकुलन करने वाली प्रादेशिक इकाई या इकाईयों द्वारा प्राप्त होंगे ।

(2) संकुलन प्रभार किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों में संकुलन करने वाली किसी प्रादेशिक इकाई या इकाईयों पर अधिरोपित किया जा सकेगा तथा इन विनियमों के अधीन एनएलडीसी द्वारा विरचित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संकुलन अवमुक्ति करने के लिए किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी प्रादेशिक इकाई या इकाईयों को संदत्त किए जा सकेंगे ।

(3) संकुलन प्रभार अननुसूचित विनिमय प्रभारों के अतिरिक्त अधिक निकासी करने वाली प्रादेशिक इकाई द्वारा संदेय होंगे जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 या उसकी किसी अधिनियमिति के अनुसार संदेय होंगे ।

5. **संकुलन प्रभार की दर**

आयोग, समय-समय पर, आदेश द्वारा संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग को लागू संकुलन प्रभार की दर को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

6. **संकुलन प्रभार के आवेदन के लिए नोटिस**

जब राष्ट्रीय प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में विद्युत के अंतरण के लिए प्रयुक्त अंतर-प्रादेशिक/अंतरा-प्रादेशिक कारीडोर/लिंक पर विद्युत का प्रवाह ऐसे कारीडोर/लिंक के एटीसी के बाहर हो रहा है तो एनएलडीसी/आरएलडीसी व्यतिक्रम करने वाली इकाईयों को चेतावनी सूचना जारी करेगा । यदि अंतर-प्रादेशिक/अंतरा-प्रादेशिक कारीडोर/लिंक पर विद्युत का प्रवाह टीटीसी से अधिक होता है तब एनएलडीसी/आरएलडीसी फैक्स/वाक् संदेश के माध्यम से तथा अपनी वेबसाइट पर डालकर तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध सामान्य स्क्रीन के माध्यम से नोटिस देने के पश्चात् विनियम 4 के अनुसार विशिष्ट समय-ब्लॉक से व्यतिक्रम करने वाली इकाईयों पर संकुलन प्रभार लागू करने का विनिश्चय कर सकेगा:

परंतु कम से कम दो स्पष्ट समय-ब्लॉकों की सूचना प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रभार लागू होने से पूर्व, दी जाएगी, जिसकी गणना उस समय-ब्लॉक में नहीं की जाएगी जिसमें नोटिस जारी किया जाता है ।

7. **संकुलन प्रभार के प्रत्याहरण के लिए नोटिस**

जब राष्ट्रीय/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में, एटीसी के लिए प्रभावित पारेषण लिंक/कारीडोर पर विद्युत का प्रवाह कम हो गया है तो वह फैक्स/वाक् संदेश के माध्यम से और अपनी वेबसाइट तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध सामान्य स्क्रीन के माध्यम से किसी एक विशिष्ट समय-ब्लॉक से संकुलन प्रभार को वापस ले सकेगा :

परंतु यह कि संकुलन प्रभार वापस लेने से पूर्व प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा एक समय-ब्लॉक का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उस समय-ब्लॉक की गणना नहीं की जाएगी जिसमें नोटिस जारी किया जाता है ।

अध्याय - 3 : संकुलन प्रभार लेखा

8. संकुलन प्रभार लेखा

(1) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र " संकुलन प्रभार लेखा " नामक एक पृथक् बैंक खाता रखेगा जिसमें संकुलन प्रभार के मद्दे प्राप्त सारी रकम को जमा किया जाएगा । संकुलन प्रभार खाते में जमा रकम, यदि कोई हो, को आयोग द्वारा अधिसूचित पद्धति के अनुसार नियमित अंतरालों पर निधि में अंतरित किया जाएगा ।

(2) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा संकुलन प्रभार खाते को उस रीति में बनाए तथा प्रचालित किया जाता है जिस रीति से अननुसूचित अंतर-विनिमय प्रभारों के खाते को बनाए तथा प्रचालित किया जाता है:

परंतु यह कि संकुलन प्रभार खाते को किसी ऐसी अन्य इकाई द्वारा बनाए रखा जा सकेगा जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निदेश दिया जाए ।

(3) आयोग संकुलन प्रभारों में से संचित निधि के अनुरक्षण तथा प्रचालन के बारे में पृथक् रूप से प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा ।

अध्याय - 4 : संकुलन प्रभार का संदाय तथा उपयोग

9. संकुलन प्रभार का विवरण

संकुलन प्रभार के संदाय तथा संवितरण का विवरण प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा अननुसूचित विनिमय प्रभार के विवरण के साथ साप्ताहिक आधार पर जारी

किया जाएगा । संगृहीत तथा संवितरित संकुलन प्रभार संबंधी मासिक रिपोर्ट को प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों द्वारा आयोग को दिया जाएगा ।

10. **संकुलन प्रभार लेखा को संदाय :** संकुलन प्रभार का संदाय करने के लिए दायी प्रादेशिक इकाई प्रादेशिक ऊर्जा समिति सचिवालय द्वारा विवरण के जारी करने के 10 दिन के भीतर संकुलन प्रभार लेखा में रकम जमा करेगी:

परंतु यह कि जब संकुलन प्रभार का संदाय, देय तारीख से दो दिन बाद अर्थात् प्रादेशिक ऊर्जा समिति सचिवालय द्वारा विवरण के जारी करने के बारह दिन बाद किया जाता है तब संकुलन प्रभार जमा करने में विलंब के लिए जिम्मेदार प्रादेशिक इकाई प्रतिदिन 0.04% की दर पर ब्याज का संदाय करेगी ।

11. **संकुलन प्रभार रकम का निर्मोचन :** प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र संकुलन प्रभार संदाय की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर, संकुलन प्रभार के संदाय में विलंब के कारण संकुलन प्रभार, ब्याज सहित यदि कोई हो, प्राप्त करने की हकदार प्रादेशिक इकाई को संदेय रकम को निर्मोचित करेगा ।

12. **संकुलन प्रभार का उपयोग :** विनियम 8 में उल्लिखित खाते में संघटकों से संगृहीत संकलन प्रभार की असंवितरित रकम का उपयोग संकुलन अवमुक्ति के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा, जिसमें विनियम 8 के अधीन अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार अंतर-प्रादेशिक लिंकों के बेहतर के उपयोग, विशेष संरक्षा स्कीमों का संस्थापन, शंट कैपिसिटरों आदि का अधिष्ठापन करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रणाली अध्ययन करना भी सम्मिलित है :

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/निधियों के अनुरक्षण तथा प्रचालन के कार्य को करने वाली अन्य इकाई छह मासिक आधार पर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें असंवितरित रकम तथा उसके उपयोग के ब्यौरे होंगे ।

13. **विवाद निवारण तंत्र :** इस अधिनियम के अधीन उद्भूत सभी विवादों का विनिश्चय आयोग द्वारा व्यथित पक्षकार द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 या उसकी किसी अधिनियमिति के अनुसार किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा ।

14. **शिथिल करने की शक्ति** : आयोग, आदेश द्वारा, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित होने वाले पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, स्वःप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2009 असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2009

No. L-7/139(159)/2008.—In exercise of powers conferred under Sections 79(1)(c) and 178(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER – I: PRELIMINARY

1. **Short Title and Commencement.** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. **Definitions and Interpretation:-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

(a) "Available Transfer Capability (ATC)" means the transfer capability of the inter-control area transmission system available for scheduling commercial transactions (through long term access, medium term open access and short term open access) in a specific direction, taking into account the network security. Mathematically ATC is the Total Transfer Capability less Transmission Reliability Margin.

(b) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

(c) "Congestion" means a situation where the demand for transmission capacity exceeds the Available Transmission Capability;

(d) "Congestion charge" means the supplementary charge kicked in on one or more Regional entities in one or more Regions for transmission of power from one Region to another or from one State to another within a Region when the deviations from the schedule cause the net drawal of power in the inter-regional or intra-regional transmission links to go beyond the Total Transfer Capability limit;

(e) "Control area" means an electrical system bounded by interconnections (tie lines), metering and telemetry, where it controls its generation and/or load to maintain its interchange schedule with other control areas whenever required to do so and contributes to frequency regulation of the synchronously operating system;

(f) "Credible contingency" means the likely-to-happen contingency, which would affect the Total Transfer Capability of the inter-control area transmission system;

(g) "Regional entity" means such persons whose metering and energy accounting is done at the regional level;

(h) "Transmission Reliability Margin (TRM)" means the amount of margin kept in the total transfer capability necessary to ensure that the interconnected transmission network is secure under a reasonable range of uncertainties in system conditions;

(i) "Total Transfer Capability (TTC)" means the amount of electric power that can be transferred reliably over the inter-control area transmission system under a given set of operating conditions considering the effect of occurrence of the worst credible contingency.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them under the Act.

CHAPTER –II: MEASURES TO RELIEVE CONGESTION

3. Calculation of Total Transfer Capability (TTC), Available Transfer Capability (ATC) and Transmission Reliability Margin (TRM)

(1) The National Load Despatch Centre shall asses the Total Transfer Capability (TTC), Available Transfer Capability (ATC) and Transmission

Reliability Margin (TRM) of inter-regional links / Corridors in consultation with Regional Load Despatch Centers, and revise, if necessary, the TTC, ATC and TRM declared by the Central Transmission Utility (CTU) as per the detailed procedure mentioned in the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 .

(2) TTC, ATC, and TRM along with the details of basis of calculations, including assumptions if any, shall be put up on the website of NLDC and RLDC at least three months in advance. The specific constraints indicated by the study would also be put on the website.

(3) Regional Load Despatch Centres shall assess Total Transfer Capability (TTC) , Available Transfer Capability (ATC) and Transmission Reliability Margin (TRM) of individual control areas within the Region, if required, and the same would be put on the website of respective RLDC, along with the details of basis of calculations, including assumptions if any, three months in advance. The specific constraints indicated by the study would also be put on the website.

Provided that the NLDC shall perform transmission system reliability studies for the summer, monsoon, winter and pre-winter/post winter (when the all-India demand is least) scenarios for peak and off-peak, to determine the TTC of its system. The worst credible contingency shall be studied to ensure equipment loadings, voltage stability, and transient stability.

Provided further that National Load Despatch Centre (NLDC) and/or concerned Regional Load Despatch Centre (RLDC) , may revise the TTC , ATC and TRM due to change in system conditions, which includes change in network topology or change in anticipated active or reactive generation or load, on account of outage or otherwise, of one or more generators or transmission lines, at any of the nodes in the study. Such revision should clearly state the reasons thereof. The TTC, ATC and TRM may again be revised on the day-ahead basis depending on system conditions anticipated at that time.

Provided also that when advance measurement techniques like Phasor Measuring Units (PMUs) become available to the NLDC and RLDCs for real-time field measurements, the inference from these measurements would be suitably used for assessment of Total Transfer Capability.

4. **Applicability of Congestion Charge.**

(1) To relieve congestion in the real time, a congestion charge shall be applied as a commercial measure. The congestion charge will be payable by a Regional entity or entities causing congestion in the inter-regional link or intra-regional link and receivable by a Regional entity or entities relieving congestion.

(2) Congestion charge may be imposed on any Regional entity or entities in any Region or Regions for causing congestion and paid to any Regional entity or entities in any Region or Regions for relieving congestion as per the detailed procedure under these regulations formulated by NLDC and approved by the Commission.

(3) The congestion charge shall be payable by the overdrawing regional entity in addition to the Unscheduled Interchange charges which would be payable as per Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related Matters) Regulations,2009 or any reenactment thereof.

5. **Rate of congestion charge.** The Commission may, from time to time, by order specify the rate of congestion charge applicable to whole or a part of the region.

6. **Notice for application of congestion charge.** When, in the opinion of the National/Regional Load Despatch Centre, flow of electricity on an inter-regional /intra-regional corridor/ link used for transfer of electricity has crossed the ATC of such corridor/link, the NLDC/RLDC shall issue a warning notice to the defaulting entities. If the flow of electricity on the inter-regional /intra-regional corridor/ link exceeds the TTC, the NLDC/RLDC may, after notice through fax/voice message and through posting on its website and the common screen available on the Energy Management System, which is common to NLDC, RLDC and SLDCs, decide to apply congestion charge on the defaulting entities from a particular time-block in accordance with regulation 4:

Provided that notice of at least two clear time blocks shall be given by the Regional Load Despatch Centre before congestion charge becomes applicable, not counting the time block in which the notice is issued.

7. **Notice for withdrawal of congestion charge.** When in the opinion of the National / Regional Load Despatch Centre, flow of electricity on the affected

transmission link /corridor has come down to the ATC, it may, after notice through fax/voice message and through posting on its website and the common screen available on the Energy Management System, withdraw congestion charge from a particular time-block:

Provided that notice of one time block shall be given by the Regional Load Despatch Centre before congestion charge is withdrawn, not counting the time block in which the notice is issued.

CHAPTER – III: CONGESTION CHARGE ACCOUNT

8. **Congestion Charge Account.** (1) Each Regional Load Despatch Centre shall maintain a separate bank account called "Congestion Charge Account" wherein all money received on account of congestion charge shall be credited. The amount standing to the credit of Congestion Charge Account, if any, shall be transferred to a Fund at regular intervals as per methodology notified by the Commission.

(2) Congestion charge account shall presently be maintained and operated by the Regional Load Despatch Centre in the same manner as the account for Unscheduled Interchange Charges.

Provided that Congestion Charge Account may be maintained by any other entity as the Commission may direct by notification from time to time.

(3) The Commission will separately notify the procedure regarding the maintenance and operation of the funds accumulated out of the congestion charges.

CHAPTER – IV: PAYMENT AND UTILISATION OF CONGESTION CHARGE

9. **Statement of Congestion Charge.** The statement of payment and disbursal of congestion charge shall be issued by the Regional Power Committee Secretariat on weekly basis along with statement for Unscheduled Interchange charge. A monthly report on the collected and disbursed congestion charges shall be given to the Commission by Regional Load Despatch Centres.

10. **Payment to Congestion Charge Account.** The Regional Entity liable to pay congestion charge shall deposit the amount in Congestion Charge Account within 10 days of issue of statement by the Regional Power Committee Secretariat:

Provided that when payment of congestion charge is delayed beyond two

days from due date, that is to say, beyond twelve days of the issue of statement by the Regional Power Committee Secretariat, the Regional entity responsible for delay in depositing congestion charge amount shall be liable to pay interest at the rate of 0.04% per day.

11. **Release of Congestion Charge Amount.** The Regional Load Despatch Centre shall, within three working days of receipt of congestion charge payment, release the amount payable to the Regional Entity entitled to receive congestion charge, along with interest, if any, on account of delay in payment of congestion charge.

12. **Utilisation of Congestion Charge.** The undisbursed amount of congestion charge collected from the constituents in the account mentioned in Regulation 8 shall be utilized, with the prior approval of the Commission, to relieve congestion including but not limited to carrying out specific system studies to optimize the utilization of the inter-regional links, installation of special protection schemes, installation of shunt capacitors, etc. in accordance with the procedure notified under Regulation 8 .

Provided that the Regional Load Despatch Centres/any other entity entrusted with maintenance and operation of the funds shall submit report to the Commission on a six monthly basis, furnishing details of undisbursed amount and utilisation thereof.

13. **Dispute Redressal Mechanism.** All disputes arising under these regulations shall be decided by the Commission based on an application made by the person aggrieved in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 or any re-enactment thereof.

14. **Power to Relax.** The Commission may by order, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/2009-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.